दिनांक 8-11-21
आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
... उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24.12.21
को पेश हो।

रीडर

24.12.21 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 29-12.21 को पेश हो. तब तक T.I. की अवधि बढाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

29/12/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। पत्रावली मे दिनांक 24/12/2021 को प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 5/07/21 अप्रार्थीगण बावजूद तामील के उपस्थित नही आये। अतः दिनांक 08/07/21 को अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। साथ ही अप्रार्थीगण को विवादित आराजी मे शामल के हिस्से तक रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)

अप्रार्थी के वकील ने दिनांक 24/12/2021 को एकपक्षीय बहस की। अप्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए विवादित आराजी मे प्रार्थी के पक्ष मे दिनांक 08/07/14 को जारी निषेधाज्ञा को समाप्त करने का निवेदन किया।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस मे कहा कि प्रार्थी (वादी) द्वारा अपनी पैतृक आराजी की खातेदारी घोषणा के दावे के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है। विवादित आराजी को पैतृक सिद्ध करने हेतु प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी की जमाबंदी खाता संख्या 173 ग्राम बरखेडा 2070-73 पेश की है व जमाबंदी सम्वत 2058-61 पेश है जिससे विवादित आराजी प्रार्थी की पैतृक साबित है। विवादित आराजी मे प्रार्थी का हिस्सा प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 मे वर्णित सिजरा अनुसार गैर सायल के नाम दर्ज रिकार्ड विवादित भूमि के 1/6 हिस्से मे से 1/4 अर्थात विवादित भूमि का 1/24 हिस्सा प्रार्थी के हक मे है।

अप्रार्थी वकील ने अपने अपनी बहस मे कहा कि अप्रार्थी बावजूद तामील के

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)

डाक के निष्कासन तक विवादित भूमि बाबत पूर्व से जारी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रार्थी वकील की बहस व प्रार्थी द्वारा पेश जमाबंदी के अवलोकन पश्चात निष्कर्ष यह है कि प्रार्थी अपने पिता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि मे अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा चाहता है। विवादित भूमि प्रार्थी की पैतृक होना साबित है। अत: प्रकरण मे प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे है साथ ही सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। यदि अप्रार्थी विवादित भूमि का बेचान करता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति संभावित है।

अत: उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। एवम् अप्रार्थी को विवादित आराजी ख.नं. 1091, 1093, 1094, 1095, 1097, 1143, 1144, 1145, 1176, 1215, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226 कुल किता 18 रकबा 7.74 हे. वाकेग्राम हरसेडा तहसील महवा मे

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज.)

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थी (सायल) के हित में दावे के निस्तारण तक रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने, रहन व बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी महवा जिला-दौसा (राज०)	